रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2018/पौष 14, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 405

No. 03] DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2018/PAUSHA 14, 1939 [N.C.T.D. No. 405

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

सं. फा. 18ए/(43)/99/ ।0 वि0/10-24.—दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय विरूपण के किसी अपराध के शमन हेतु चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किये गये हों, निम्नलिखित अधिकारियों या प्राधिकारियों को नियुक्त करते है :–

I. उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों के लिये :–

(i) क्षेत्र का उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट

(ii) नगर निगम के संबंधित जोन का सहायक आयुक्त

II. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों के लिये :–

(i) क्षेत्र का उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट

(ii) निदेशक (प्रवर्तन), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्

III. दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों के लिये:–

(i) क्षेत्र का उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट

(ii) बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित दिल्ली छावनी बोर्ड का कार्यपालक अभियन्ता।

इस अधिनियम में समस्त ऐसे अपराधों का शमन ऐसे संयोजन शुल्क जो कि पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा या विरूपण को हटाने या मिटाने पर हुए खर्च की राशि के बराबर, इसमें जो भी अधिक हो, के भुगतान पर उपरोक्त उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पवन चोपड़ा, उप–निदेशक (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 2nd January, 2018

No. F. 18A(43)/99/UD/10-24.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of The Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers or authorities for compounding any offence of Defacement whether committed before or after the commencement of the Act, punishable under section 3 of the said Act:

I. For areas of North Delhi Municipal Corporation, South Delhi Municipal Corporation and East Delhi Municipal Corporation:-

(i) Sub Divisional Magistrate of the Area
(ii) Assistant Commissioner of the concerned zone of the Municipal Corporation

II. For areas of New Delhi Municipal Council (NDMC):-

(i) Sub Divisional Magistrate of the Area
(ii) Director (Enforcement) of NDMC

III. For areas of Delhi Cantonment Board (DCB):-

(i) Sub Divisional Magistrate of the Area
(ii) Executive Engineer of Delhi Cantonment Board to be nominated by the Chief Executive Officer of the Board

All such offences in this act shall be compounded by the authorities mentioned above on payment of such composition fee, which shall not be less than Rupees Five Thousand or the amount equal to expenses incurred for the removing or erasing the defacement, which ever is more. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.18 19:49:16 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.